वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून को वर्ष 2023–24 में निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति किये जाने हेतु पंजीकरण के लिए इच्छुक फर्मो से आवेदन आमंत्रण।

क्र सं0	विवरण / कार्यक्रम	प्रपत्र। ई0–निविदा हेतु आवश्यक समय–सारणी तिथि / मूल्य
1	आवेदन हेतु विज्ञापन सं0 व दिनांक	30[illegible]54 / यू0टी0यू0 / 2023 10 / 11 / 2023
2	पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि	16 / 11 / 2023 पूर्वाह्न 10:00 बजे से
3	पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	01 / 12 / 2023 अपराह्न 02:00 बजे तक
4	पंजीकरण हेतु आवेदन खोलने की तिथि	02 / 12 / 2023 पूर्वाह्न 10:00 बजे
5	निविदा आवेदन पत्र शुल्क	1000/- + 18% जी0एस0टी0 सहित 1180 / –

आवेदन खोले जाने का स्थान

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी
सुद्धोवाला, देहरादून।
दूरभाषः 0135–2770126
फैक्स : 0135–2770124
वेबसाइटः www.uktech.ac.in

पंजीकरण प्रेषित करने हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्ते

01 आवेदनकर्ता फर्म का वाणिज्य कर (GST) व आयकर में पंजीकृत फर्म होना अनिवार्य है पंजीकरण से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिर्वाय है।

- व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति (GST/Tin Number Cetificate)
- पैन कार्ड की छायाप्रति।

02 वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 व 2021–22 हेतु जमा किये गये आयकर रिटर्न से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

03 फर्म द्वारा विश्वविद्यालय/सरकारी संस्थान/सरकारी निगम में आपूर्ति की गई निर्माण सामग्रियें से सम्बन्धित क्रयादेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

04 आवेदनकर्ता फर्म जिसका Turn Over निम्नानुसार हो, सी0ए0 द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर सर्टिफिकेट आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करेगी।

05 आवेदनकर्ता फर्म के पास सीमेन्ट व सरिया हेतु प्रतिष्ठित कम्पनी द्वारा जारी किया गया अधिकृत विक्रेता फर्म का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

क्र सं0	कार्य का विवरण	वार्षिक न्यूनतम कारोबार (Turn Over)
1	निर्माण सामग्री विक्रय	25,00,000.00

06 **फर्म का पंजीकरण एक वर्ष तक मान्य होगी, तथा इसे आपसी सहमति से एक–एक वर्ष बढाई जा सकती है। जिसकी अधिकतम सीमा तीन वर्ष से अधिक नही होगी।**

07 आवेदित फर्मो द्वारा प्रस्तुत आवेदन समिति के समक्ष खोली जायेगी। आवेदन तकनीकी रूप से अर्ह पाये जाने पर ही फर्म का पंजीकरण विश्वविद्यालय कार्यालय मे किया जायेगा। आवेदित फर्म द्वारा तकनीकी रूप से असफल रहने पर उस फर्म का पंजीकरण नही किया जायेगा।

08 आवेदनकर्ता फर्म किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 से 05:00 बजे तक विश्वविद्यालय के कार्यालय से आवेदन पत्र का प्रारूप व अन्य शर्तों से सम्बन्धित प्रपत्र प्राप्त कर सकती है। इच्छुक फर्म आवेदन पत्र के प्रारूप व अन्य शर्तो से सम्बन्धित प्रपत्र विश्वविद्यालय कार्यालय से रू0 ***1000.00+GST 18% अर्थात जी0एस0टी0 सहित रू0 1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी रुपये मात्र)*** नकद जमा कर प्राप्त कर सकती है अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.uktech.ac.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में फर्म को ***रू0 1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी रुपये मात्र)*** का वैक ड्राफ्ट **वित्त नियंत्रक वीर माधो सिंह** भण्डारी **उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून** के नाम बना कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

09 यथासमय पूर्णतः भरे गये आवेदन–पत्र स्पीड/पंजीकृत पोस्ट/विश्वविद्यालय में स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से विश्वविद्यालय कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। यदि आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि या फिर आवेदन पत्र खोले जाने की नियत तिथि को किसी भी कारण अवकाश घोषित किया जाता है तो आवेदन पत्र आगामी कार्य दिवस में पूर्व से नियत समय में खोली जायेंगी।

10 आवेदनकर्ता द्वारा सभी दस्तावेज हस्ताक्षरित कर एक लिफाफे में रख कर सील्ड करेगी। उक्त लिफाफे के उपर आवेदनकर्ता फर्म का नाम, पता (दूरभाष सं0 सहित), कार्य का शीर्षक व निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय अंकित होना अनिवार्य है ताकि नियत तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई आवेदन–पत्र बिना खोले आवेदनकर्ता को वापस प्रेषित की जा सके या फिर भूलवश आवेदन–पत्र नियत समय व तिथि से पूर्व न खोली जा सके। यदि आवेदनकर्ता लिफाफे पर उपरोक्त जानकारी नही देगा तो आवेदनकर्ता का फार्म नियत तिथि/समय से पूर्व

खुलने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी व समय से पूर्व उक्त खोले गये आवेदन–पः निरस्त समझे जायेंगे।

11 आवेदन–पत्र नियत तिथि को उन सभी आवेदनकर्ता फर्म के प्रतिनिधियों के सम्मुख खोले जायेंगे जो नियत तिथि व समय में विश्वविद्यालय कार्यालय में उपस्थित होंगे।

12 विश्वविद्यालय को किसी भी आवेदनकर्ता फर्म का आवेदन स्वीकार करने या अस्वीकार करने क या फिर आवेदन प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13 पंजीकृत फर्मो द्वारा अलग–अलग सामग्रियों के सापेक्ष न्यूनतम दरें उपलब्ध कराने की दशा ं विश्वविद्यालय सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एक से अधिक फर्मो को कार्यादेश जारी कर सकता है।

14 पंजीकृत फर्मे दरें प्रेषित करने से पूर्व सम्बन्धित सामग्री के आकार/प्रकार/गुणवत्ता व अन्य सं संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो वह किसी भी कार्य दिवस पर विश्वविद्याल के कार्यालय से उक्त जानकारी प्राप्त कर सकती है।

15 आवेदनकर्ता फर्म के साथ विश्वविद्यालय के किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में देहरादून न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा।

सफल आवेदन कर्ता हेतु अन्य निबन्धन एवं शर्तें

1. फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश मे दी गयी अवधि के भीतर किया जाना अनिवार्य है आपूर्तिकर्ता फर्म सभी प्रकार के निर्माण सामग्रियो की आपूर्ति विश्वविद्यालय की मांग के अनुरूप विश्वविद्यालय कार्यालय मे समयान्तर्गत करना सुनिश्चित करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा फर्म के बिलो का भुगतान यह सत्यापित करने के उपरान्त ही किया जायेगा कि फर्म द्वारा सामग्रियो की आपूर्ति विश्वविद्यालय के कार्यादेश/मांग के अनुरूप की गयी है। फर्म को किसी प्रकार की अग्रिम धनराशि नही दी जायेगी।
2. यदि फर्म सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समयावधि के भीतर या फिर विश्वविद्यालय की मांग के अनुरूप नही करती है तो विश्वविद्यालय को फर्म के पंजीकरण को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, साथ ही संबंधित फर्म को विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य मे आमंत्रित किये जाने वाली निविदा आदि हेतु काली सूची – बद्ध कर किया जा सकता है।
3. फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री विश्वविद्यालय की मांग के अनुरूप प्रतिष्ठान/गोदाम से विश्वविद्यालय कार्यालय मे उपलब्ध कराने तक का पूर्ण उत्तरदायित्व आपूर्ति कर्ता फर्म के कर्मचारियो/प्रतिनिधि का होगा।
4. फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की निर्माण सामग्रियो मात्रा/वजन कार्यादेश मे दी गयी मांग के अनुरूप हो। सामग्री की आपूर्ति करते समय फर्म इस बावत प्रमाण पत्र भी देगी की आपूर्ति की गयी सामग्रियॉ की मात्रा/वजन व गुणवत्ता कार्यादेश मे दी गयी मांग के अनुरूप है फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियॉ यदि कम पायी जाती है तो फर्म कम पायी गयी सामग्रियों को पुनः नियत अवधि के भीतर विश्वविद्यालय को आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगी।
5. फर्म द्वारा सामग्रियों की निर्धारित अवधि से अधिक समय पर आपूर्ति करने पर निम्नानुसार दण्ड का प्रावधान किया गया है:–

   क– फर्म द्वारा सामग्रियों की निर्धारित अवधि से विलम्व से आपूर्ति करने पर वास्तवित कीमत पर 0.5% प्रति सप्ताह की दर से LD काटा जायेगा जो कि निर्धारित समय के अनुसार आपूर्ति नही की जाती है जुर्माने की अधिकतम कटौती 10% तक होगी यदि 10% की सीमा तक पहुॅच जाती है। तो विश्वविद्यालय अनुबंध समाप्त करने पर विचार कर सकता है।